



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 100-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015

दिनांक: 01 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुये, उन्हें एतद्वारा स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुये, तदनुसार प्रोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं0	नाम/अभिज्ञान सं0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	स्तम्भ-3 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/प्रोन्नति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री राम सेवक प्रसाद (अनु0जा0) 86161/बरती 30.06.2016/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 01.01.2014
2.	श्री गिरीश कुमार (अनु0जा0) 86082/आगरा 30.04.2020/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्य मण्डल, मिर्जापुर।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 01.03.2015
3.	श्री किशन सिंह (अनु0जा0) 86146/आगरा 30.06.2019/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 01.04.2015
4.	श्री हरी शंकर सत्यार्थी (अनु0जा0) 86090/इटावा 31.07.2020/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-2, आगरा।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 01.04.2015
5.	श्री संतोष कुमार भारती (अनु0जा0) 86096/चन्दौली 31.07.2021/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 05.06.2015

Sharma

6.	श्री शिव शंकर प्रसाद (अनु0जा0) 86154/बिहार 31.01.2020/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, उरई।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 05.06.2015
7.	श्री राकेश पुष्कर (अनु0जा0) 86143/आगरा 30.06.2021/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 05.06.2015
8.	श्री रविन्द्र कुमार (अनु0जा0) 86152/बलिया 31.12.2020/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), बस्ती।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 05.06.2015
9.	श्री शक्ति सिंह (अनु0जा0) 86203/आगरा 31.08.2018/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-9, लेसा, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 05.06.2015
10.	श्री शैलेन्द्र कुमार (अनु0जा0) 86147/जालौन 31.10.2021/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 05.06.2015

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 100-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केसको लिमिटेड, कानपुर तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ तैनात कार्मिकों को उनके वर्तमान पद से तत्काल अवमुक्त कर, उन्हें अपने कार्यालय से सम्बद्ध करेंगे। तदोपरान्त, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्विःसदस्यीय समिति का यथाव्योचित अनुमोदन प्राप्त कर, इन कार्मिकों की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को, इस आशय से प्रेषित कि वे अपने यहाँ प्रतिनियुक्ति पर तैनात उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्मिकों के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दु-3 के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 5- निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि वे शक्ति भवन मुख्यालय एवं सम्बद्ध इकाईयों में तैनात कार्मिकों को अवमुक्त कराकर, अग्रेतर आदेशों तक अपने कार्यालय से सम्बद्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



- 6- समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- 8- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 10- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,



(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव